न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरूपगंज, तहसील पिण्डवाडा जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

जो कोई हो।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4/5 भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2008 को गांव नितौडा में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क का कार्य करवाया जा रहा था। उस दिन खुदाई के दौरान जमीन से सोने की वस्तु मिली, जिसे मजदूर श्री होनाराम मेघवाल, श्री दिनेश हरिजन, श्री धरमाराम कुम्हार, श्री बाबू पुत्र श्री पुरा घांची, श्री सरदारसिंह राजपूत, श्री विनोद हरिजन, श्री देवाराम भील, श्री दरगाराम, श्री दुर्गेश घांची निवासी नितौडा उक्त सोने की वस्तु को श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री वनाजी सोनी निवासी नितौडा के पास लेकर गए एवं सोने की वस्तु को खुर्द–बुर्द करने की नियत से 60,500/– रूपए में बेच दिया तथा उक्त रूपयों के बंटवारे के चक्कर में झगडने से मालूम पडने पर थानाधिकारी पुलिस थाना सरूपगंज को सूचना दी गई, जिस पर श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री वनाजी से 09 तोला 02 ग्राम, श्री होनाराम से 400 मिलीग्राम, श्री धरमाराम से 03 ग्राम 08 मिलीग्राम एवं श्री दिनेश कुमार से 400 मिली ग्राम कुल 09 तोला 05 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना को पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिया जाकर भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 के तहत जब्त सरकार करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आम इश्तिहार कमांक कोर्ट/भा.नि.नि./1/2022/04–12 दिनांक 03.01.2022 जारी किया गया । जिसे निदेशक, पुरातत्व विभाग, राजस्थान जयपुर, पुलिस अधीक्षक सिरोही, उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, तहसीलदार पिण्डवाडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा, थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा, ग्रा[illegible] नितौडा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सिरोही एवं वह स्थान जहां पर [illegible] निधि पाई गई उस स्थान पर तामिली कराई जाकर चस्पा किया [illegible] के संबंध मे किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम प्रस्तुत [illegible] प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित माना जाकर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:19:25 IST
Reason: SelfAttested

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा नितौडा मे पाई गई निखात निधि के संबंध मे जारी इश्तिहार की अवधि समाप्त हो चुकी है, दौराने अवधि अभी तक उक्त सोने के संबंध मे किसी भी पक्ष द्वारा कोई क्लेम प्रस्तुत नही होने पर यह सम्पति राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त सरकार की जाने के आदेश प्रदान करावे ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण एवं किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किए जाने से एवं छः माह की अवधि समाप्त होने से उक्त निखात निधी का क्लेम पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रार्थी की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 17.05.2008 को गांव नितौडा में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क का कार्य करवाया जा रहा था। उस दिन खुदाई के दौरान जमीन से सोने की वस्तु मिली, जिसे मजदूर श्री होनाराम मेघवाल, श्री दिनेश हरिजन, श्री धरमाराम कुम्हार, श्री बाबू पुत्र श्री पुरा घांची, श्री सरदारसिंह राजपूत, श्री विनोद हरिजन, श्री देवाराम भील, श्री दरगाराम, श्री दुर्गेश घांची निवासी नितौडा उक्त सोने की वस्तु को श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री वनाजी सोनी निवासी नितौडा के पास लेकर गए एवं सोने की वस्तु को खुर्द–बुर्द करने की नियत से 60,500/– रूपए में बेच दिया तथा उक्त रूपयों के बंटवारे के चक्कर में झगडने से मालूम पडने पर थानाधिकारी पुलिस थाना सरूपगंज को सूचना दी गई, जिस पर श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री वनाजी से 09 तोला 02 ग्राम, श्री होनाराम से 400 मिलीग्राम, श्री धरमाराम से 03 ग्राम 08 मिलीग्राम एवं श्री दिनेश कुमार से 400 मिली ग्राम कुल 09 तोला 05 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना को पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिया जाकर भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 के तहत जब्त सरकार करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है, जिस पर आम इश्तिहार क्रमांक/कोर्ट/भा.नि.नि./1/2022/04–12 दिनांक 03.01.2022 जारी किया गया, जिसे निदेशक, पुरातत्व विभाग, राजस्थान जयपुर, पुलिस अधीक्षक सिरोही, उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, तहसीलदार पिण्डवाडा, विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा, थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा, ग्राम पंचायत नितौडा, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सिरोही एवं वह स्थान जहां पर निखात निधि पाई गई उस स्थान पर तामिली कराई जाकर चस्पा किया गया। नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है अभी तक सोने के संबंध मे किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे पुलिस लिये गये कुल 09 तोला 05 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना को मालिक विहिन सम्पत्ति घोषित करते हुए जब्त सरकार करने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि सोना बहुमूल्य सम्पत्ति है जिसका निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोषाधिकारी, जयपुर शहर को अधिकृत किया हुआ है अतः उक्त सोने को कोष कार्यालय, जयपुर शहर मे जमा कराने के आदेश दिए जाते है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सरूपगंज जमा कराने की कार्यवाही अपने स्तर पर करे ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner